भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.916
23 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

केंद्रीय योजना के तहत सृजित प्रसंस्करण क्षमता

916. एडवोकेट प्रिया सरोजः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों का वर्ष-वार और वस्तु-वार कुल कृषि उत्पादन और प्रसंस्कृत कृषि उपज की अनुमानित मात्रा का विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केंद्रीय योजनाओं के तहत सृजित प्रसंस्करण क्षमता के साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रसंस्करण और शीत श्रृंखला क्षमता के विस्तार के बीच अंतर और मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षाओं में यथा दर्ज किए गए इसके कारणों का वर्ष-वार, वस्तु-वार और जिला-वार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान अनुमानित कटाई उपरान्त नुकसान सहित शीत भांडागार, फूड पार्क और संभार तंत्र की कमी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या का विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष-वार, वस्तु-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के तहत निधियों के उपयोग के संबंध में विलंबित, अपूर्ण या गैर-परिचालन परियोजनाओं के ब्यौरे सहित निगरानी रिपोर्टों के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) कृषि उपज की बर्बादी को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं कि केंद्रीय योजनाओं के परिणामस्वरूप वास्तव में मूल्य संवर्धन हो और किसानों को अधिक आय प्राप्त हो?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल कृषि उत्पादन का विवरण, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, वस्तुवार:**अनुबंध** में दिया गया है। विभिन्न कृषि वस्तुओं में मूल्य संवर्धन का आकलन करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने वर्ष 2026 में क्रिसिल के माध्यम से "भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर के आकलन पर अध्ययन" शीर्षक से प्रसंस्करण के स्तर को निर्धारित करने के लिए अध्ययन किया है। प्रसंस्करण के स्तर पर उपलब्ध अध्ययन प्रकृति में समय-समय पर होते हैं और न तो राज्य-वार और न ही वर्ष-वार अनुमान प्रदान करते हैं। अध्ययन में शामिल विभिन्न श्रेणियों/वस्तुओं के लिए प्रसंस्करण की सीमा का विवरण निम्नानुसार है:

भारत में प्रसंस्करण का स्तर (%)					
श्रेणी/कमोडिटी	**वित्त वर्ष 11**	**वित्त वर्ष 16**	**वित्त वर्ष 19 (ई)**	**वित्त वर्ष 23**	**वित्त वर्ष 25(ई)**
धान	69.70%	85.20%	92.30%	76.00%	77.00%
गेहूं	55.30%	70.10%	78.00%	78.00%	79.00%

मक्का और मिलेट	20.00%	28.30%	29.40%	82.00%	84.00%
अनाज (समग्र)	**51.10%**	**63.70%**	**68.80%**	**78.00%**	**79.00%**
चना	29.30%	59.60%	80.40%	65.00%	69.00%
लाल चना	31.60%	51.30%	51.70%	71.00%	71.00%
अन्य दालें	40.50%	58.10%	53.80%	76.00%	75.00%
दालें (समग्र)	**34.00%**	**57.40%**	**61.80%**	**69.00%**	**71.00%**
मूंगफली	8.10%	17.50%	42.70%	78.00%	81.00%
रेपसीड और सरसों	56.50%	36.00%	32.50%	77.00%	79.00%
अन्य तिलहन	87.90%	79.90%	61.50%	78.00%	80.00%
तिलहन (समग्र)	**60.10%**	**49.60%**	**49.80%**	**78.00%**	**80.00%**
फल	1.60%	2.90%	4.50%	17.00%	19.00%
आलू और प्याज	1.10%	2.00%	3.20%	19.00%	22.00%
अन्य सब्जियां	2.70%	2.40%	2.40%	8.00%	10.00%
एफ एंड वी (समग्र)	**1.90%**	**2.50%**	**3.30%**	**16.00%**	**18.00%**
दूध	17.20%	20.10%	21.10%	58.00%	60.00%
अंडे और मुर्गी पालन	3.50%	7.40%	11.60%	18.00%	20.00%
मांस	18.60%	22.70%	34.20%	41.00%	46.00%
मछली	2.80%	8.30%	15.40%	23.00%	26.00%
चाय *	–	89%	–	93%	93%
कॉफी *	–	57%	–	97%	97%
मसाले	–	–	–	59%	61%
गन्ना	69%	84%	84%	87%	87%

स्रोत: क्रिसिल द्वारा भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर के आकलन पर अध्ययन"- वर्ष 2026

(ख) एमओएफपीआई देश भर में वर्ष 2017-18 से केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित करता है। पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण दोनों अवसंरचना की सुविधाएं सृजित होती हैं। योजनाएं मांग-आधारित हैं और समय-समय पर निधि की उपलब्धता के आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। दिनांक 30 जून, 2026 तक, पूर्ण परियोजनाओं की पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सृजित कुल प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता 294.21 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।

इसके अलावा, एमओएफपीआई भारत के प्राकृतिक संसाधन संपन्नता के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण

चैंपियन के सृजन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करने के लिए 10,900 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए पीएलआईएसएफपीआई को कार्यान्वित कर रहा है। अब तक, पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लगभग 35 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजित हुई है।

उत्पादन में वृद्धि और प्रसंस्करण स्तर के विस्तार के बीच अंतर की संभवतः विशिष्ट अवसंरचना में इष्टतम निवेश से कम होने के कारण, कुछ मामलों में आपूर्ति श्रृंखला विकास के प्रारंभिक चरण आदि में कुछ संभावना हो सकती है। उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र एंड-टू-एंड विकास के लिए, एमओएफपीआई पीएमकेएसवाई, केंद्र प्रायोजित "प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" और पीएलआईएसएफपीआई को कार्यान्वित करता है। तथापि, उत्तर प्रदेश के लिए उत्पादन में वृद्धि और प्रसंस्करण और शीत श्रृंखला क्षमता के विस्तार के बीच अंतर का वर्ष-वार, वस्तु-वार और जिला-वार डेटा एमओएफपीआई के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए, एमओएफपीआई ऐसी किसी भी कमी के पीछे के कारणों को बताने की स्थिति में नहीं है।

(ग) एमओएफपीआई समय-समय पर प्राथमिक सर्वेक्षणों के आधार पर अध्ययन करके देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान का अनुमान लगाता है। कटाई के बाद के नुकसान पर उपलब्ध अध्ययन प्रकृति में आवधिक होते हैं और वर्ष-वार अनुमान प्रदान नहीं करते हैं। संदर्भ वर्ष 2020-22 के साथ नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नेब्कोंस) द्वारा वर्ष 2022 में किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में कवर की गई फसलों का अनुमानित प्रतिशत नुकसान निम्नानुसार है:

उत्तर प्रदेश में फसलों की फसल कटाई के बाद की हानि (%)	
फसल	**समग्र कुल हानि**
बाजरा	4.11
काला चना	6.11
कद्दू	6.43
अंडा	6.06
हरी मटर	6.34
अंतर्देशीय मछली	4.99
मक्का	5.77
मांस	2.80
दूध	1.12
मशरूम	2.74
खरबूजा	7.25
सरसों	5.97
धान	4.00
आलू	5.82
पोल्ट्री मांस	7.24
गन्ना	6.91
गेहूं	6.36

एमओएफपीआई की योजनाएं मांग-आधारित हैं, जिसमें समय-समय पर अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित लिए जाते हैं, जो निधि की उपलब्धता के अधीन होता हैं। इस योजना के अंतर्गत, निधि राज्य-वार आवंटित नहीं की जाती है। इसलिए, मंत्रालय को किसी भी राज्य के लिए शीतगृह, फूड पार्क या लॉजिस्टिक्स अवसंरचना की कमी के संबंध में संरचित या केंद्रीकृत तरीके से शिकायतें प्राप्त नहीं होती हैं। तथापि, इस तरह के अवसंरचना की मांग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए हितधारकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के माध्यम से परिलक्षित होती है।

(घ) अनुदान सहायता (जीआईए) जारी करने से पहले, परियोजना इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण एमओएफपीआई के प्रतिनिधियों और कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों जैसे बैंकरों, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अधिकारियों आदि द्वारा किया जाता है। इन निरीक्षणों का उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि परियोजना योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है और भौतिक प्रगति वित्तीय प्रगति के अनुरूप है। निरीक्षण रिपोर्ट में प्रोमोटर की इक्विटी, सावधि ऋण और अनुदान सहायता से किए गए व्यय सहित धन के उपयोग का आकलन भी किया जाता है।

निगरानी रिपोर्टों के निष्कर्ष बताते हैं कि, अधिकांश परियोजनाएं संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रही हैं, जबकि कुछ मामलों में देरी, अधूरे कार्यान्वयन या परियोजनाओं के गैर-परिचालन देखे गए हैं। ये आम तौर पर वित्तीय समापन में देरी, भूमि से संबंधित मुद्दों, वैधानिक अनुमोदन या अन्य कार्यान्वयन चुनौतियों जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार हैं। मंत्रालय इन रिपोर्टों के आधार पर उचित कार्रवाई करता है, जिसमें जीआईए की आगे की रिलीज को रोकना, स्पष्टीकरण मांगना या संबंधित योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सुधारात्मक उपाय शुरू करना शामिल है।

(ङ) कृषि उत्पादों के अपव्यय को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय योजनाओं से मूल्य संवर्धन और किसानों की आय में वृद्धि हो, सरकार ने कई उपाय किए हैं। इनमें एमओएफपीआई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शीत श्रृंखला, भंडारण, परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे फसल कटाई के बाद और प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए सहायता शामिल है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने, किसान-प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच संबंधों को मजबूत करने, बेहतर प्रसंस्करण और संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बाजार पहुंच में सुधार के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रयासों का उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, मूल्य संवर्धन को बढ़ाना और बेहतर मूल्य प्राप्ति के माध्यम से किसानों की आय में सुधार करना है।

अनुबंध

लोकसभा में 23 जुलाई, 2026 को "केंद्रीय योजना के तहत सृजित प्रसंस्करण क्षमता" पर उत्तर हेतु प्रश्न संख्या 916 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उत्तर प्रदेश में फसल-वार उत्पादन					
					लाख टन में उत्पादन
फसल	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
चावल	152.72	161.43	159.90	207.59	198.05
गेहूं	339.50	336.10	353.40	356.53	358.77
मक्का	16.21	19.52	26.68	19.61	30.50
जौ	5.01	5.92	4.72	4.90	6.15
ज्वार	2.70	3.15	4.62	4.35	5.22
बाजरा	19.51	20.46	21.95	18.92	23.11
समाल मिलेट	0.05	0.08	0.42	0.28	0.33
श्री अन्न /पोषक अनाज	22.26	23.69	27.00	23.55	28.66
पोषक/मोटा अनाज	43.47	49.13	58.40	48.06	65.31
तुर	3.55	3.64	3.95	1.15	2.67
चना	8.18	8.98	7.86	8.08	9.44
उड़द	2.92	2.82	5.02	3.37	3.29
मूंग	0.54	0.66	0.69	2.10	2.18
दाल	4.66	5.17	5.77	6.25	7.32
अन्य दालें	6.35	7.16	7.85	5.36	6.08
मूंगफली	1.03	1.14	1.48	4.96	4.62
तिल	0.71	0.84	1.19	1.22	2.16
सोयाबीन	0.09	0.11	0.18	0.31	0.55
सूरजमुखी	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02
रेपसीड और सरसों	10.33	16.20	19.16	24.09	26.54
अलसी का बीज	0.17	0.35	0.29	0.26	0.51
कुसुम	0.00	--	--	--	--
गन्ना	1791.67	2242.46	2158.11	2208.01	2296.99
कपास#	0.09	0.07	0.09	0.40	0.36
तंबाकू	1.23	0.93	1.28	1.40	--
सनई ##	0.03	0.07	0.07	0.03	--

ग्वारसीड	0.01	0.01	0.01	-	--
*वर्ष 2025-26 का डेटा तीसरे अग्रिम अनुमानों का है					
# लाख बेल्स में कपास उत्पादन, 1 बेल= 170 किग्रा					
## लाख बेल्स में सनई उत्पादन, बेल= 180 किग्रा					

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
